बांका समाहरणालय

(पशुपालन विभाग)

पशु सुखा चारा दर निर्धारण हेतु

निविदा आमंत्रण सूचना

बांका जिला अंतर्गत बाढ़/सुखाड़ की स्थिति में पशु चारा (गेंहू भूसा, पुआल कुट्टी, चोकर/दाना) की आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्विलिफाफा पद्धति द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना की तिथि से 15 दिन के अन्दर तक प्राप्त किया जायेगा। प्रकाशन के 15 दिन के बाद (प्रकाशन की तिथि को सम्मिलित करते हुए) अर्थात् सोलहवा दिन निविदा को अपराहन 02 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि सोलहवा दिन सरकारी अवकाश की तिथि होगी तो वैसी परिस्थिति में अगले दिन निविदा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।

निविदा का नियम/शर्त्ते :-

1. निविदादाता को पेनकार्ड की छायाप्रति वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा काली सूंची में दर्ज नही होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. पशु चारा (गेंहू भूसा, पुआल कुट्टी, चोकर/दाना) उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये एवं उसका सील बंद नमूना को तकनिकी निविदा के लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्ति किये जाने वाले सूखे चारे को निविदा में अंकित दर पर जिला अंतर्गत आवश्यकता अनुसार खोले गये पशु राहत शिविर तक पहुँचाने तक के लिये होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य राशि का दावा मान्य नहीं होगा। परिवहन के दौरान किसी भी दुर्घटना की जबावदेही आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
4. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में मो0 5000/- (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका के पदनाम से तथा SBI, बांका में भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
6. सफल निविदादाता को बाढ़/सुखाड़ की स्थिति में आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिया जा सकेगा। आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के अंदर आपूर्ति करना आवश्यक होगा।
7. स्वीकृत दर एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

जिला पदाधिकारी
बांका